

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	प्रशिक्षित कृषि <b>उद्यमी</b> स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	1- कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित कराया जाता है। 2- कृषि निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस निशुल्क प्रदान किया जाता है। 3- चयनित लाभार्थी को योजनान्तर्गत 3.50 लाख रू० न्यूनतम दर 5.5% ब्याज पर बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 4- योजनान्तर्गत <b>उद्यमी</b> को 1 वर्ष तक <b>उद्यम</b> केन्द्र का किराया 1000 रू०/माह की दर से शासन द्वारा देय है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स०वि०अ०कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाईट	<a href="http://upagriculture.com/">http://upagriculture.com/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।